

**न्यायालय:- आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील चंदेरी**  
**चन्देरी जिला-अशोकनगर म0प्र0**

**दांडिक प्रकरण क-161/2012**  
**संस्थित दिनांक- 21.01.2012**

बृजभान सिंह पुत्र रघुनाथ सिंह जाति लोधी धंधा  
खेती निवासी ग्राम बडेरा थाना चंदेरी  
जिला अशोकनगर .....परिवादी

**विरुद्ध**

1. गुलाब सिंह पुत्र जोराबल आयु 60 साल जाति लोधी
  2. अनरत सिंह पुत्र जोराबल लोधी आयु 50 साल
  3. महाराज सिंह पुत्र जोराबल लोधी आयु 52 साल
  4. लक्ष्मण सिंह पुत्र जोराबल लोधी आयु 29 साल
  5. सेधपाल सिंह पुत्र अनरत सिंह लोधी आयु 24 साल
- सभी का धंधा खेती सभी निवासीगण ग्राम बडेरा  
थाना चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0

.....अभियुक्तगण

**:- निर्णय :-**

**(आज दिनांक 12.01.2018 को घोषित)**

- 01- अभियुक्तगण के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 427 एवं 506 बी के दण्डनीय अपराध के आरोप है कि उन्होंने दिनांक-18.11.2010 को शाम करीबन 07:00 बजे फरियादी बृजभान के खेत में फरियादी की बागड व पानी की नाली तोडकर उसे 50/- रुपये से अधिक मूल्य की रिष्टी कारित की एवं उसे संत्राष कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्राष कारित किया।
- 02- परिवाद पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि परिवादी बृजभान सिंह व अभियुक्तगण के मध्य भूमि संबंधी विवाद है जिसमें व्यवहार न्यायालय चंदेरी से ग्राम बडेरा तहसील चंदेरी स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 239/16/4 रकबा 0.669 है, के संबंध में परिवादी के द्वारा स्वत्व घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा के वाद में स्टे प्राप्त हुआ है, जिसके विरुद्ध दायर अपील भी निरस्त हो गई है। परिवादी उक्त भूमि का भूमि स्वामी है, उक्त भूमि में परिवादी बृजभान सिंह की बागड लगी है तथा आरोपीगण द्वारा भूमि पर जबरन कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। आरोपीगण भूमि पर कब्जा करने के उद्देश्य परिवादी बृजभान सिंह से झगडा कर चुके हैं, जिसके संबंध में थाना चंदेरी एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को आवेदन प्रस्तुत किये हैं। किंतु कोई कार्यवाही नहीं हुई। घटना दिनांक 18.11.2010 को शाम के लगभग 07:00 बजे परिवादी अपनी भूमि में नहर से पानी देने गया था, कि सभी आरोपीगण एक राय होकर अपने हाथों में लाठी कुल्हाडी व फर्सा जैसे घातक हथियार लेकर आये तथा अभियोगी की भूमि से पलेवा करने लगे परिवादी ने मना किया तो अभियोगी को मारने को आमादा हो गये तथा कहा कि न्यायालय को नहीं मानते धमकी दी कि यदि भूमि पर रहा तो जान से मार डालेंगे। गांव में नहीं रहने देंगे। घटना चंद्रपाल सिंह व मलखान सिंह ने पूरी देखी। अभियोगी अपनी जान बचाकर भागा यदि अभियोगी घटना स्थल से नहीं भागता तो अभियोगी के साथ गंभीर घटना घटित हो सकती थी। आरोपीगण के द्वारा जबरन अभियोगी

के खेत में पानी देने के लिये नाली तोड़ दी है, जिससे अभियोगी को का लगभग 500/- रुपये का नुकसान हो गया है। जिस पर से यह परिवाद अभियुक्तगण के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 147, 148, 149, 427, 504, 506 के तहत विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

03- प्रकरण में उल्लेखनीय है कि दिनांक-25.10.2017 परिवादी ने अभियुक्त तोरन से एवं दिनांक-14.12.2017 को परिवादी ने अभियुक्त प्रीतम से राजीनामा करने बाबत आवेदन अंतर्गत धारा 320 (2) व 320 (8) द0प्र0सं0 के प्रस्तुत किये किये थे, जिन्हें उक्त दिनांक को ही स्वीकार करते हुये अभियुक्त तोरन व प्रीतम को भा0द0वि0 की धारा 427, 506 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित कर उनके विरुद्ध विचारण समाप्त किया गया तथा भा0द0वि0 की धारा 427, 506 बी के तहत शेष अभियुक्तगण का विचारण किया गया।

04- अभियुक्तगण गुलाब सिंह, अनरत सिंह, महाराज सिंह, लक्ष्मण सिंह, सेधपाल को उनके विरुद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध को आरोप पढ कर सुनाये गये उन्होंने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्तगण का परीक्षण अंतर्गत धारा-313 द0प्र0सं0 में कहना है कि वह निर्दोष है उन्हें झूठा फंसाया गया है।

05- प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :-

1.	क्या अभियुक्त गुलाब सिंह, अनरत सिंह, महाराज सिंह, लक्ष्मण सिंह, सेधपाल ने दिनांक-18.11.2010 को शाम करीबन 07:00 बजे फरियादी बृजभान के खेत में फरियादी की बागड व पानी की नाली तोड़कर उसे 50/- रुपये से अधिक मूल्य की रिष्टी कारित की ?
2.	क्या अभियुक्त गुलाब सिंह, अनरत सिंह, महाराज सिंह, लक्ष्मण सिंह, सेधपाल ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर परिवादी बृजभान सिंह को संत्राष कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्राष कारित किया ?
3.	दोष सिद्धि अथवा दोष मुक्ति ?

### -:: सकारण निष्कर्ष ::-

#### विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1, 2 व 3 का विवेचन एवं निष्कर्ष:-

06- सुविधा की दृष्टि से एवं प्रकरण में आई साक्ष्य की पुर्नवृत्ति को रोकने के लिये उपरोक्त विचारणीय प्रश्नों का विवेचन एक साथ किया जाकर निष्कर्ष दिया जा रहा है। परिवादी

पक्ष की ओर से अपने समर्थन में परिवादी बृजभान (प0सा0-1) सहित चन्द्रपाल (प0सा0-2) व मलखान (प0सा0-3) के कथन न्यायालय में कराये गये। परिवारी बृजभान (प0सा0-1) ने अपने कथनों में यह स्पष्ट किया है कि आरोपीगण से उसका जमीनी विवाद चल रहा है, जिसमें स्टे है। जिसे आरोपीगण नहीं मानते हैं, हालांकि बृजभान (प0सा0-1) की ओर से भूमि संबंधी विवाद के दस्तावेज प्रस्तुत कर प्रदर्शित नहीं कराये गये, परन्तु उसके साक्षी चन्द्रपाल (प0सा0-2) ने अपने कथनों में इस बात की पुष्टि की है, कि बृजभान (प0सा0-1) व अभियुक्तगण के मध्य जमीनी विवाद को लेकर न्यायालय में प्रकरण चल रहा है, जिसमें स्थगन है।

- 07- चन्द्रपाल (प0सा0-2) व मलखान (प0सा0-3) के प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष की ओर से दिये गये सुझाव की अभियुक्तगण और परिवादी के मध्य कई मामले चल रहे हैं, की जानकारी होने से इन साक्षियों ने इन्कार किया है, परन्तु बचाव पक्ष की ओर से दिये गये उक्त सुझाव परिवाद पत्र में वर्णित इस तथ्य की पुष्टि करता है कि अभियुक्तगण व परिवादी पक्ष के मध्य पूर्व से जमीनी विवाद है जिसके संबंध में दोनों पक्षों में कई न्यायालीन प्रकरण चल रहे हैं, जिससे दोनों पक्षों के मध्य पूर्व की रंजिश होना स्थापित होता है। अतः देखा यह जाना है कि उक्त रंजिश के कारण अभियुक्तगण ने वास्तव में परिवादी के साथ परिवाद पत्र में वर्णित घटना कारित की थी अथवा नहीं।
- 08- यह उल्लेखनीय है कि पूर्व की रंजिश दो धारी तलवार के सामान होती है, जिसके रहते एक पक्ष दूसरे पक्ष के विरुद्ध कोई भी घटना कारित कर सकता है। वहीं दूसरी ओर इस संभावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है कि उक्त रंजिश के चलते एक पक्ष दूसरे पक्ष के विरुद्ध षडयंत्र पूर्वक झूठा प्रकरण संस्थित करा दे। अतः ऐसी स्थिति में जहां दो पक्षों के मध्य पूर्व की रंजिश हो वहां साक्ष्य का गहन मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है।
- 09- बृजभान (प0सा0-1) का अपने कथनों में कहना है कि वर्ष 2010 में वह अपने खेत में शाम 07 बजे पानी बरा रहा था, तो गुलाब सिंह, अनरत सिंह, महाराज सिंह, सेंधपाल व लक्ष्मण फर्सा कुल्हाड़ी लेकर आये और उसके खेत की बागड तोड़कर उसे जान से मारने की धमकी दी और पानी देने की नाली तोड़ दी, जिससे उसको नुकसान हो गया। चन्द्रभान (प0सा0-2) व मलखान (प0सा0-3) ने भी अपने कथनों में बृजभान (प0सा0-1) के कथनों की पुष्टि करते हुये व्यक्त किया है कि घटना शाम 07:00 बजे की है। उस समय बृजभान अपने खेत में पानी दे रहा था।
- 10- बृजभान (प0सा0-1) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 2 में यह स्वीकार किया है कि उसने भूमि सर्वे क्रमांक 239/16/4 का कपूरी बाई को बटाई पर दे दी थी तथा उक्त भूमि पर कपूरी बाई द्वारा ही फसल बोई गई थी। परिवादी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह भी स्वीकार किया है कि घटना के वर्ष में उसने कपूरी बाई को खेत पर बटाई पर आधे आधे खर्च व आधी आधी फसल पर दिया था, जिसमें यह तय हुआ था कि मेहनत कटाई आदि

का कार्य कपूरी बाई करेगी। अतः स्पष्ट है कि बृजभान (प0सा0-1) के अनुसार जिस भूमि के संबंध में तथा जिस भूमि पर अभियुक्तगण के द्वारा आकर वह विवाद करना बता रहा है, उक्त भूमि घटना के समय कपूरी बाई को बटाई पर दी गई थी और बटाईदार होने के कारण कपूरी बाई के द्वारा ही उस पर संपूर्ण कृषि कार्य किया जा रहा था।

- 11- अतः ऐसे में प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि यदि कपूरी बाई बटाईदार थी और उसी के द्वारा ही संपूर्ण कृषि किया जा रहा था तो घटना दिनांक को शाम 07:00 बजे परिवादी खेत पर पानी क्यों दे रहा था, क्योंकि यदि बटाई पर दिया जाता है, तो उस खेत पर मात्र फसल में आधा आधा हिस्सा बटाईदार और मालिका का होता है तथा फसल आने तक भूमि स्वामी का कोई कार्य कृषि भूमि पर नहीं होता है। अतः ऐसी स्थिति में वास्तव में घटना दिनांक को यदि भूमि बटाई पर दी गई थी, तो परिवादी का मौके पर गेहू की फसल को पानी देना अपने आप में घटना स्थल पर उसकी उपस्थिति को शंकाप्रद बनाता है।
- 12- परिवादी बृजभान (प0सा0-1) का कहना है कि अभियुक्तगण कुल्हाड़ी फर्से सहित खेत पर आये थे और उसकी बागड तोड़ दी थी, वहीं पानी देने की नाली भी उनके द्वारा तोड़ी गई थी। बागड तोड़ने के संबंध में सर्वप्रथम तो यह उल्लेखनीय है कि परिवाद पत्र में अभियुक्तगण के द्वारा बागड तोड़ी गई ऐसी कोई घटना का उल्लेख नहीं है। वही घटना के साक्षी मलखान (प0सा0-3) जो कि अपना खेत विवादित खेत के पास में बताता है एवं चन्द्रपाल (प0सा0-2) जो परिवादी का भतीजा है, का कहीं भी यह कहना नहीं है कि अभियुक्तगण के द्वारा मौके पर फर्सा कुल्हाड़ी सहित आकर परिवादी के खेत की बागड तोड़ी गई थी। अतः स्पष्ट होता है कि बृजभान (प0सा0-1) के कथन बागड तोड़ने के संबंध में बड़ाचढ़ा कर दिये गये कथन हैं, जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है।
- 13- परिवादी बृजभान (प0सा0-1) अपने कथनों में यह कहता है कि अभियुक्तगण ने उसके पानी देने की नाली तोड़ दी थी, जिससे उसे नुकसान हो गया था तथा चन्द्रपाल (प0सा0-2) ने भी अपने मुख्यपरीक्षण में यह कथन दिये हैं कि अभियुक्तगण ने आकर पानी के नाले का हटा दिया था, जबकि घटना के अन्य साक्षी मलखान (प0सा0-3) जो कि मेढियां कृषक हैं, का कहीं भी यह कहना नहीं है कि अभियुक्तगण ने घटना में परिवादी की कोई नाली तोड़ी थी अतः नाली तोड़नी की घटना का मलखान (प0सा0-3) ने अपने कथनों में कोई समर्थन नहीं किया है। जहां तक बृजभान (प0सा0-1) व चन्द्रपाल (प0सा0-2) का यह कहना है कि अभियुक्तगण ने घटना स्थल पर आकर नाली तोड़ी थी तो इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि नाली कैसी थी तथा उक्त नाली टूटने से परिवादी को क्या नुकसान हुआ, यह कहीं भी इन दोनों ही साक्षियों ने स्पष्ट नहीं किया है।
- 14- बृजभान (प0सा0-1) के प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के प्रश्नों पर परिवादी स्वयं यह स्वीकार

करता है कि खेत में फावड़े से मिट्टी की नाली बनाकर पानी छोड़ा जाता हैं, जिसे बराना कहते हैं अर्थात् परिवादी के अनुसार पर मौके पर इसी प्रकार नाली बनाकर पानी बरा रहा था। सर्वप्रथम तो अभिलेख पर आई साक्ष्य से घटना स्थल पर परिवादी का होना ही संदेहस्पद है और यदि यह मान भी लिया जाये कि अभियुक्तगण ने आकर मिट्टी की पानी की निकासी के लिये बनाई हुई नाली तोड़ी है, तो ऐसी नाली तोड़ने से किसी प्रकार का कोई नुकसान परिवादी को हुआ, यह नहीं माना जा सकता है। ऐसी नाली का न तो कोई मूल्य हो सकता है और न ही ऐसी नाली जो कि मिट्टी को एकत्रित करके बनाई गई। धारा 425 भा0द0वि0 में उल्लेखित संपत्ति की श्रेणी में आती है और न ही यह कहा जा सकता है कि ऐसी नाली को मिटाकर भूमि के मूल्य में कोई परिवर्तन हो सकता है या उसकी उपयोगिता कम हो सकती है।

- 15— अतः अभिलेख पर आई साक्ष्य के आधार पर यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्तगण ने परिवादी को पानी निकाली के लिये बनाई गई नाली को तोड़कर 50/- रुपये से अधिक मूल्य की कोई रिष्टी कारित की। जहां तक अभियुक्तगण के द्वारा जान से मारने की धमकी दिये जाने का प्रश्न है तो इस संबंध में चंद्रपाल (प0सा0-2) ने अपने कथनों में अभियोजन के समर्थन में कोई कथन नहीं दिये।
- 16— बृजभान (प0सा0-1) का कहना है कि अभियुक्तगण ने फर्सा कुल्हाड़ी सहित आकर उसे जान से मारने की धमकी दी थी और कहा था कि खेत से नहीं गया तो जान से खत्म कर दूंगा तथा परिवादी का यह कहना है कि यदि अभियुक्त खेत से नहीं भागता तो निश्चित ही अभियुक्तगण उसे जान से मार देते। अतः परिवादी बृजभान (प0सा0-1) के कथन के अनुसार अभियुक्तगण की धमकी से वह इतना डर गया था कि मौके से भाग गया। बृजभान (प0सा0-1) का कहना है कि उक्त घटना चंद्रपाल (प0सा0-2) व मलखान (प0सा0-3) ने देखी थी। परिवादी धमकी के डर से मौके से भाग गया था, इस बात पर इन दोनों ही साक्षियों ने परिवादी का कोई समर्थन नहीं किया, बल्कि इस संबंध में इन दोनों ही साक्षियों के कथन गंभीर विरोधाभास से युक्त है।
- 17— चन्द्रपाल (प0सा0-2) का अपने कथनों में कहना है कि उसने 100 फीट दूरी से झगडा होते हुये देखा था तथा घटना के समय मलखान (प0सा0-3) अपने खेत पर था तथा इस साक्षी के अनुसार मलखान (प0सा0-3) घटना स्थल पर ही आ गया था। जबकि मलखान (प0सा0-3) इसके विपरीत अपने कथनों में कहता है कि विवाद के समय वह घटना स्थल से एक जरीफ दूरी पर था, यह साक्षी अभियुक्तगण के द्वारा जान से मारने की धमकी दिया जाना तो बताता है, परन्तु धमकी किस अभियुक्त ने व किस कारण से दी, यह कहीं भी इस साक्षी ने स्पष्ट नहीं किया। बल्कि इसके विपरीत प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 3 में यह साक्षी चन्द्रपाल (प0सा0-2) के कथनों के विपरीत यह कहता है कि वह घटना स्थल पर नहीं गया बल्कि बृजभान व चंद्रपाल दोनों ही उसके खेत पर आ गये थे जिसके बाद वह गाव आ गया था। जबकि चंद्रपाल (प0सा0-2) का कहना है कि उसने आरोपीगण को समझाया था जिसके बाद मलखान अपने खेत पर चला गया था

और वह बृजभान के साथ गांव आ गया था।

- 18— चन्द्रपाल (प0सा0-2) व मलखान (प0सा0-3) के द्वारा दिये गये उपरोक्त कथनों के तारतम्य में यदि विचार किया जाये, तो दोनों ही स्थिति में यह साबित नहीं होते हैं कि धमकी सुनने के बाद परिवादी डर के कारण मौके से भाग गया था। क्योंकि यह दोनों ही साक्षी बृजभान को अपने साथ गांव आना बताते हैं। घटना स्थल पर मलखान (प0सा0-3) पहुंच गया था तथा उसने स्वयं घटना देखी थी, इस बात का खण्डन स्वयं इस साक्षी ने अपनेकथन की कण्डिका 3 में किया है तथा इस साक्षी का कहना है कि वह घटना स्थल पर नहीं गया था, बल्कि अपने खेत पर था उसने केवल हल्ला सुना था तथा अंधेरे के कारण उसने कुछ नहीं देखा। अतः स्पष्ट होता है कि मलखान (प0सा0-3) स्वयं को घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी न बताते हुये अनुश्रुत साक्षी बताता है, जिसके कथन इस संबंध में उक्त आधार पर ही ग्राह्य नहीं है कि उसने अभियुक्तगण को जान से मारने की धमकी देते हुये देखा था।
- 19— वहीं घटना स्थल पर परिवादी बृजभान (प0सा0-1) चन्द्रपाल (प0सा0-2) व स्वयं मलखान (प0सा0-3) के कथनों में मलखान (प0सा0-3) की घटना स्थल पर उपस्थिति के संबंध में उत्पन्न हुआ विरोधाभास यह युक्तियुक्त संदेह उत्पन्न करता है कि मलखान (प0सा0-3) के समक्ष वास्तव में कोई घटना हुई भी थी या अथवा नहीं। अभिलेख पर आई साक्ष्य से परिवादी के कथन इस संबंध में भी विश्वसनीय नहीं है कि घटना के समय वह खेत पर पानी दे रहा था, वहीं अभिलेख पर आई साक्ष्य से परिवादी के कथनों के आधार पर यह कहीं से भी दर्शित नहीं होता है कि परिवादी को यदि अभियुक्तगण से जान से मारने की धमकी मिली तो वह डर के बारे मौके से भाग गया।
- 20— यह उल्लेखनीय है कि मात्र किसी विवाद में शब्दिक रूप से जान से मारने की धमकी देना भा0द0वि0 की धारा 506 बी के अपराध की परिधि में नहीं आता है। आपराधिक अभित्राष के अपराध के लिये यह आवश्यक है कि जान से मारने की धमकी मात्र शब्दिक धोंस के रूप में न होकर संत्रास कारित करने के आशय से दी गई। जान से मारने की धमकी संत्राष कारित करने के आशय से दी गई इसके लिये अभिलेख पर सीधी साक्ष्य उपलब्ध नहीं होती है कि यह घटना की परिस्थिति एवं घटना के पूर्व एवं पश्चात की परिस्थितिजन साक्ष्य के आधार पर एवं फरियादी व अभियुक्तगण की स्थिति के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है।
- 21— अभिलेख पर आई साक्ष्य के आधार पर सर्वप्रथम तो यह विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है कि बृजभान (प0सा0-1) शाम 07:00 बजे खेत पर था, तो अभियुक्तगण ने वहां आकर कोई विवाद किया था, क्योंकि बृजभान (प0सा0-1) के कथनों से घटना स्थल पर उसकी उपस्थिति विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती है। वही मलखान (प0सा0-3) स्वयं यह स्वीकार करता है कि उसने केवल हल्ला सुना था, घटना नहीं देखी थी और न ही वह परिवादी के खेत पर गया। अतः इस साक्षी के समक्ष भी कोई घटना नहीं हुई। चन्द्रपाल

(प0सा0-2) के कथनों से यह दर्शित नहीं होता है कि यदि वास्तव में अभियुक्तगण ने मौके पर आकर परिवादी को कोई जान से मारने की धमकी दी, तो उक्त धमकी देने का आशय अभियुक्तगण का संत्राष कारित करने का रहा था या वास्तव में परिवादी को संत्राष कारित हुआ।

- 22- अभिलेख पर आई साक्ष्य से परिवादी व अभियुक्तगण के मध्य पूर्व से जमीनी विवाद होना साबित हैं तथा पूर्व की रंजिश होने से इस संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि एक पक्ष दूसरे पक्ष के विरुद्ध बिना किसी आधार के कोई आपराधिक कार्यवाही करें। अभिलेख पर घटना के संबंध में परिवादी सहित साक्षियों के कथन विश्वसनीय प्रतीत नहीं होते हैं, जिससे यह युक्ति-युक्त संदेह उत्पन्न होता है कि वास्तव में पूर्व की रंजिश के चलते यह परिवादी संस्थित तो नहीं किया गया, जिसका लाभ अभियुक्तगण को दिया जाना न्यायोचित होगा।
- 23- फलस्वरूप अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर परिवादी यह युक्ति युक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण गुलाब सिंह, अनरत सिंह, महाराज सिंह, लक्ष्मणसिंह, सेंधपाल ने दिनांक-18.11.2010 को शाम करीबन 07:00 बजे फरियादी बृजभान के खेत में फरियादी की बागड व पानी की नाली तोड़कर उसे 50/- रुपये से अधिक मूल्य की रिष्टी कारित की एवं उसे संत्राष कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्राष कारित किया।
- 24- फलतः अभियुक्तगण गुलाब सिंह, अनरत सिंह, महाराज सिंह, लक्ष्मणसिंह, सेंधपाल को भा0द0वि0 की धारा 427, 506 बी के आरोप प्रमाणित न होने से अभियुक्तगण गुलाब सिंह, अनरत सिंह, महाराज सिंह, लक्ष्मणसिंह, सेंधपाल को भा0द0वि0 की धारा 427, 506 बी के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में दोष मुक्त घोषित किया जाता है। धारा 428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे। अभियुक्तगण के उपस्थिति संबंधी जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। प्रकरण में जुप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत  
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(आसिफ अहमद अब्बासी)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

